IMPACT FACTOR 7.50 (SJIAI)

बिहार शोध समागम
BIHAR SHODH SAMAAGAM

Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 4 October-December, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
https://doi.org/10.5281/zenodo.23402389

ISSN : 3048-6971

उत्तर प्रदेश में बाबा रामचन्द्र द्वारा किसान आन्दोलन : एक ऐतिहासिक अध्ययन

शोध निर्देशक
प्रो0 तबस्सुम फरखी, इतिहास विभाग
एम0एल0के0 (पी0जी0) कॉलेज
बलरामपुर (उ0प्र0)

शोध छात्र
अरूण कुमार वर्मा , इतिहास विभाग
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थ नगर, उ0प्र0-272202

सारांश

औपनिवेशिक प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली एवं ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके परिणाम से भू–राजस्व बंदोबस्त से तीन भू–राजस्व प्रणालियाँ जमींदारी, रैयतवाड़ी, और महालवाड़ी शुरू हुईं। जिसे कृषक वर्ग ऋणग्रस्त, गरीब, दरिद्र, भूमिहीन मजदूर मात्र बन कर रह गये थे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियाँ बद् से बद्तर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) के किसान कृषि आन्दोलन में प्राथमिक शक्ति (मजबूत केन्द्र) के रूप में उभरा। बाबा रामचन्द्र ने जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करने का बीडा अपने कन्धों पर उठाया। जिसके परिणामस्वरूप बाबा रामचन्द्र एक विशेष कालखण्ड में किसानों की आत्मा के अभिभावक बन गये थे। वास्तव में बाबा रामचन्द्र जिन शोषित और पीड़ित किसानों को किसान सभा के माध्यम से संगठित कर रहे थे, उन्हें उस परिवेश में किसी संस्था के द्वारा संगठित करने का प्रयोजन ही व्यर्थ था। दुहरे अत्याचार की चक्की के दो पाटो के बीच पिसते–पिसते किसानों का धैर्य टूट चुका था। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थीं तथा किसानों का शोषण करती थीं। अतः अनेक कष्टों को सहन करने के पश्चात् कृषकों ने आन्दोलन को अपनी मुक्ति का मार्ग चुना। बाबा रामचन्द्र के द्वारा उत्तर प्रदेश का किसान आन्दोलन तूफान की भांति चलता एवं आकाशीय बिजली की तरह चमकता रहा।

शब्द सूची : उत्तर प्रदेश में बाबा रामचन्द्र, किसान आन्दोलन, किसान सभा।

बाबा रामचन्द्र का संक्षिप्त परिचय :–

बाबा रामचन्द्र उत्तर प्रदेश के रायबरेली, फैजाबाद तथा प्रतापगढ़ के किसान आन्दोलन के सबसे सशक्त तथा प्रभावशाली नेता थे। इनका वास्तविक नाम श्रीधर बलवंत जोधापुरकर था जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मण राव था। 13 वर्ष की आयु में ही ये **''गिरिमिटिया मजदूर''** बनकर फिजी चले गये थे, वहाँ मेहनत–मजदूरी करते थे। फिजी, सूरीनाम, जमैका तथा ब्रिटिश गुयाना में शर्तबंदी कुली प्रथा थी। इन उपनिवेशक देशों में शर्तबंदी कुली प्रथा समाप्त करने के आन्दोलन चला चुके थे, जिसका अन्त 1 जनवरी 1920 को हुआ था। 1917–18 से वह उत्तर प्रदेश (जौनपुर जिले) में साधु का जीवन व्यतीत करते हुए तुलसी दास के राम चरित मानस का पाठ करते एवं एक निश्चित उद्देश्य के साथ गाँव–गाँव में भ्रमण करते थे। गाँवों के जनसमूह को रामचरित मानस की चौपाइयों के माध्यम से किसानों की समस्याओं का निदान किया करते थे।

भूमिका :–

उत्तर प्रदेश में भी देश के भिन्न–भिन्न राज्यों की भाँति किसान जो प्रायः गाँवों में केवल कृषि पर ही निर्भर थे। उनका आर्थिक तंत्र कृषि स्तम्भ पर ही खड़ा था लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना से परिस्थितियाँ इतनी अस्थिर हो गईं, जिसे कृषक वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ताल्लुकेदारी तथा जमींदारी पद्धति से उत्तर प्रदेश के किसानों को अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। जमींदारों को नियमित कर देने के अतिरिक्त जमींदार काश्तकारों को ''नजराना'', अबवाब और विशेष अवसरों पर अन्य उपहार देने के लिए विवश किया करते थे। किसानों को अपनी जोती हुई जमीन पर कोई दखल (हस्तक्षेप) अधिकार नहीं था। जिस कारण कभी–कभी किसानों और जमींदारों के बीच बेदखली के मतभेद अन्याय के खिलाफ साधारण सा टकराव होता रहता था। लेकिन किसानों ने अपने अनुभव से यह सीखा कि उन्हें सरकार और जमींदारों की शक्ति के विरूद्ध असंगठित नहीं रहना चाहिए।[1]

किसानों को भूमि से बेदखली :–

उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा बहुत ही शोषणकारी नीति पर आधारित थी। नये कानून के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा चारागाह जंगल तथा सिंचाई के साधन स्थायी रूप से जमींदारों की निजी सम्पत्ति थे। किसान जमींदारों और कर्ज देने वालों की दया पर निर्भर था, जो उनका बुरी तरह शोषण कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार किसानों

की लगातार बढ़ती हुयी निर्धनता जमींदारी प्रथा थी जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति अत्याधिक खराब होती गई।[2] उत्तर प्रदेश में शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। जमींदारों द्वारा बेदखली उच्च पराकाष्ठा एवं पीड़ादायक होती जा रही थी यथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या में लगातर बढ़ोत्तरी होती गई।[3]

उत्तर प्रदेश के जमींदार किसानों को बेगार (अवैतनिक श्रम) के लिये बाध्य कर रहे थे। प्रो0 रंगा के अनुसार ''सरकारी स्मरण–पत्र में स्वीकार किया गया है कि उत्तर–प्रदेश के बहुत से जमींदार बड़ी मात्रा में अपने किसान असामियों से अवैध करारोपण तथा बेगार ले रहे थे।''[4]

बाबा रामचन्द्र का नेतृत्व :–

गाँवों के अधिकाँश किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। यह कर्ज वे अपने जमीन पर कृषि सम्बन्धी कार्यों को करने के साथ–साथ ही सामाजिक तथा अनुत्पादक कार्यों के लिये भी लेते थे और इस पर ब्याज की दर इतनी अधिक थी कि कर्ज कभी नहीं चुका पाता था। कर्ज में ही जीवन जीता और कर्ज में ही मर जाता, लेकिन कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। इस स्थिति में किसान अपनी स्वतंत्रता को साहूकार की तिजौरी में हमेशा के लिए बंद करवा देता। कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक उपाय न था कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लिये, जो केवल भूमि पर ही निर्भर रहते थे भूमि उपलब्ध नहीं थी। दूसरी तरफ यह स्थिति और भी खराब थी क्योंकि वहाँ अधिकाँश किसान भूमि के अस्थायी मालिक थे तथा उन्हें लगातार बेदखल किया जा रहा था। इन असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने का काम बाबा रामचन्द्र ने किया था। बाबा के नेतृत्व में किसान अपने–आप को गुलामी से मुक्त एवं नये जीवन की आशा के प्रति समर्पित हो गए।[5] बाबा रामचन्द्र किसानों के मध्य भ्रमण कर रामायण का पाठ किया करते थे एवं अन्याय के विरूद्ध संघर्षों के रामायण के अनेकों दृष्टयन्त वह किसानों को समझाते थे।

बाबा रामचन्द्र को यह महसूस होने लगा था कि किसानों के संघर्ष को और अधिक तीव्र किया जाना चाहिए। उधर गौरी शंकर मिश्र, उपसभापति संयुक्त प्रांत किसान सभा के नाम से एक पैम्पलेट्स जिसका शीर्षक **''किसान प्रतिज्ञा''** था उत्तर प्रदेश के किसानों को वितरित किया गया था। इस पैम्पलेट्स में किसानों के लिये आठ प्रतिज्ञायें थी यथा अवधी बोली में लिखी गयीं थी जो निम्न थीं।

1. हम किसान सच बोलब, झूठ न बोलब, दुःख के बात सच–सच कहब।
2. हम केहू के मार गारी न सहब, केहू पर हाथ न छोड़ब, लेकिन जब केहू जिलेदार या सिपाही मारे बदे हाथ उठाई ओकर दस पांच जने मिलकर पकड़ लेब। जब केहू गारी देई हम सभन मिलकर मना करब, अगर न माने हैं तो पकर के अपने ठाकुर के पास ले जाब।
3. खेत के लगान ठीक वक्त पर भुगतान करब, लगान के रसीद जरूर लेब।
4. हथियावन, घोड़ावन, मोटरावन, वगैरह गैर कानूनी टिकट न देबे। बिना मजदूरी के न करब। अगर कौनों किसान के ताल्लुकेदार के सिपाही पकड़ि हैं, वाके गांव भर मिल के छोड़ाय के भोजन करब पहले नाहीं। ऊपरी, पतई, भूसा बाजार भाव के थोड़ा जादा भाव पर बेचब रूपया लेब तबे देब।
5. आपस में झगड़ा न करब और कबौ जो झगड़ा होई जाई, पंचाइत में तय कय लेब। हर गांव या दुई–दुई चार गांव मिल के पंचाइत बनाइब और जौन कुछ झगरा तकरार होई वोही में तय कर लेब।
6. अपने गांव में अगर कौनों किसान खाये पीये के तकलीफ या और कौनौं प्रकार के तकलीफ में होई ओकर हम मदद करब, सब किसान के दुःख आपन समझब।
7. सरकारी सिपाहिन से डरब न और ऊ अगर जुलुम करिहैं उन्हें हम रोकब। केहू के जुलुम हम न सहब।
8. ईश्वर में विश्वास रखब और साहब और धीरज से आपन दुःख मिटायें के कोशिश करब।
9. किसान भाई, वो बहिन, ऊपर के प्रतिज्ञा सच्चे मन से करौ ईश्वर बहुत जल्दिये तुम्हारा दुःख कटिहें।[6]
10. इस प्रकार स्थानीय किसान सभाओं में एक हौसला आया तथा ताल्लुकेदारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में उनका आवेग बढ़ता गया। किसान आन्दोलन जमींदारों–ताल्लुकेदारों के प्रतिरोध में क्षेत्रीय नेतृत्व को साथ लेकर स्वतः स्फूर्ति दृष्टिकोण से पादुर्भाव हुआ।

किसान सभा तथा स्थानीय संगठन का कार्यक्रम :–

बाबा रामचन्द्र किसानों को उनकी प्रगति के लिये उपदेश और प्रचार का कार्य करते थे। उनका उद्देश्य आर्थिक उन्नति के लिये प्रयास करना था। जिलों के गाँव वालों को यह उपदेश देते थे कि–

1. किसान लगान जमा करने के निश्चित समय के 15 दिन पूर्व ही जमींदारों और ताल्लुकेदारों के पास अपना लगान जमा कर दें।
2. गायों के चारागाह के लिये जंगल और बंजर भूमि आरक्षित हो।
3. खेतों की सिंचाई के लिये कुआँ और तालाब बनाये जायें।
4. फलदार वृक्षों को लगाया जाये।
5. कृषि योग्य भूमि के आधे भाग में अनाज का उत्पादन किया जाये तथा आधे भाग में कपास उगाया जाये।

6. सूती वस्त्र फैक्टरी खोली जाये जिससे स्थानीय स्तर पर सूती वस्त्र का उत्पादन हो सके और लोगों को कृषि रोजगार के अतिरिक्त श्रमिक, बुनकर के रूप में रोजगार मिल सके।
7. अनाज तथा बीज के रख–रखाव के प्रति तीन कोस पर गोदाम बनाये जायें।
8. पढ़ी लिखी महिलाओं को उपदेशिका बना कर महिला–शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये।
9. जमींदारों, किसानों और मजदूरों को एकबद्ध रूप में संगठित करके उनका संघ बनाया जाये।

बाबा रामचन्द्र के व्यक्तित्व में ऐसा जादू था, जो किसानों का कष्ट दूर कर सकता था तथा जिसका ज्ञान, एक आत्म विश्वास के रूप में किसानों को मिल गया था। रामचन्द्र के मार्गदर्शन में पहली बार किसान सभा पट्टी उत्तर प्रदेश (प्रतापगढ़) के हिस्सा के **''रूर''** नामक गाँव में स्थापित हुई। **''रूर''** गाँव के ही झिंगुरी सिंह थे जो बाबा रामचन्द्र के साथ पहले महत्वपूर्ण किसान नेता बन कर आये थे।[7] रूर गाँव के किसान सभा के समक्ष किसानों की समस्यायें प्रतिदिन पहुँचने लगीं। किसानों के दुःख दर्द को दूर करने के लिए इन्द्रनारायण द्विवेदी, मदनमोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र तथा पुरूषोत्तम दास टण्डन इत्यादि प्रमुख व्यक्तियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।[8]

बाबा रामचन्द्र ने ग्रामीण जनता को समझाया कि – सरकार, ताल्लुकेदार एवं पूँजीपति व्यवस्था से आजाद हो। आपसी एकता कायम करो।[9] यदि वे एक साथ खड़े हो जाये तो ''नजराना'', ''बेगारी'', और ''दमनात्मक ''उगाहियाँ'' अपने–आप बंद हो सकती थीं। किसानों ने गैर–भेदभाव और साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष की सर्वव्यापी प्रकृति के कारण किसान आन्दोलन भूमिहीन मजदूरों एवं सामंतवाद–विरोधी किसानों के सभी वर्गों को एकजुट करने में सक्षम रहा।[10]

बाबा रामचन्द्र के खिलाफ सरकारी पत्रावली :–

बाबा रामचन्द्र उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए किस हद तक बारूद के समान हो गये थे, इसका प्रमाण सरकार के दस्तावेजों से प्राप्त होता है, जो बाबा रामचन्द्र को गिरफ्तार और उन्हें दण्डित करने के सन्दर्भ में लिखे गये थे। 1 फरवरी सन् 1921 ई0 को उ0प्र0 मुख्यसचिव ने, मि0 विवियन जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को लिखाः

प्रिय विवियन, लखनऊ

1 फरवरी 1921

हेली (कमिश्नर–फैजाबाद) ने सूचित किया है कि सम्भव है रामचन्द्र 3 फरवरी को आपके न्यायालय में प्रस्तुत हो और जमानतदारों के अभाव में जेल भेजा जाये। हेली का विचार है कि आप व्यक्तिगत रूप से देखें कि वह वहाँ बिल्कुल रूका रहे। वह सहमत है कि यथासम्भव तत्काल उसे किसी केन्द्रीय जेल में हटा दिया जाये। आदेश पहले से नहीं किये जा सकते इससे पूर्व यह निश्चित किया जाये कि वह अपेक्षित जमानतकर्ता न प्रस्तुत कर सके। यदि आप आवश्यकता प्रतीत होने पर अन्य जेल को भेजने के आदेश की स्वीकृति मांगेगे, तो मैं तार द्वारा भेजूंगा। मुझे संकेत देना है कि उस पर बाराबंकी में दिये गये भाषण के आधार पर ही मुकदमा है।

जी0 बी0 लैम्बर्ट

मि0 विवियन, आई0 सी0 एस0
जिलाधीश, प्रतापगढ़[11]

10 फरवरी, 1921 को आखिर वो दिन था जब बनारस में रामचन्द्र आई0पी0सी0 की धारा 124ए और 133ए में बाराबंकी में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।[12] बाबा रामचन्द्र का किसानों पर अत्याधिक प्रभाव था कि बाराबंकी का डिप्टी कमिश्नर अपने जिले में बाबा रामचन्द्र के विरूद्ध मुकदमा चलाने को तैयार नहीं हुआ था। मुकदमा चला तो उत्तर प्रदेश में किसानों के द्वारा खुला संगठित विद्रोह किया जा सकता था।[13]

बाबा रामचन्द्र को बनारस से लखनऊ विशेष रेलगाड़ी से लाया गया। बाबा रामचन्द्र ने अपने मुकदमें की पैरवी स्वयं की थी। अन्ततः बाबा रामचन्द्र को 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 200 रूपये जुर्माने के तौर पर अर्थदण्ड दिया गया। जुर्माना जमा न करने पर छः माह की और कारावास की सजा दी गई थी।[14] बाबा रामचन्द्र की गिरफ्तारी तथा जेल जाने से किसान आन्दोलन की सैंकड़ों की भीड़ हजारों में बदल गई। किसानों के उद्देश्य, विचार, भाव, आत्मीयता एवं निर्भीकता आदि से संगठन मजबूत हुआ एवं अपसी एकसूत्रता सें लोगों में अटूट विश्वास, निर्भयता स्वभावतः बढ़ती गई थी। किसानों ने ब्रिटिश प्रशासन को बाध्य कर रामचन्द्र को कारागार से मुक्त करने को विवश कर दिया था।

बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व कुशलता की यह सफलता थी कि किसान न केवल अपने प्रान्त के बल्कि अन्य प्रान्तों के गाँव की समस्याओं के प्रति किसानों पर होने वाले अत्याचारों तथा जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाने लगे थे। तथापि बाबा ने किसानों को संगठित करके उनके संघर्ष को राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जोड़ दिया था।

निष्कर्ष :–

19वीं शताब्दी में अकाल की आवधिकता (एक निश्चित समय अंतराल या बार बार अकाल का आना) पुनरावृत्ति और आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी बदतर हो गई। जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में किसानों को

अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऋणग्रस्तताः करों का भारी बोझ एवं समय पर कठोर वसूली, विपत्ति के समय भी बिना किसी ब्याज दर में छूट से उनका शोषण किया। ताल्लुकेदारी और जमींदारी उत्पीड़क व्यवस्था ने किसानों का जीना दूभर कर दिया था। ऐसे समय बाबा रामचन्द्र ने कष्टों को दूर करने के लिए किसानों का नेतृत्व किया। किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया। बाबा रामचन्द्र ने जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया। उन्होंने गाँव में सभायें आयोजित की और गाँव में किसानों को जाग्रत और संगठित करने के लिए रामचरित मानस को अपना आधार बनाया। उन्होंने किसानों को बतलाया कि किस प्रकार सरकार और ताल्लुकेदारों ने उन्हें अपना बंधुआ मजदूर बना कर रखा है। दासता को तभी समाप्त किया जा सकता है जब वे एकताबद्ध होकर अपना संगठित दल बना लें। जिसका पहला सुखद प्रभाव यह हुआ था कि किसान पर होने वाले शोषण जुल्म तथा अत्याचार और इसके परिणामस्वरूप असहायता, घोर गरीबी तथा उससे उत्पन्न आक्रोश और मुक्ति की भावना का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। संघर्षों का उद्देश्य विशिष्ट एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना एवं उसका विशिष्ट समाधान कृषि आन्दोलन के तात्कालिक देशी जमींदारों एवं साहूकारों शुत्रुओं के खिलाफ था।

सन्दर्भ सूची :–

1. जवाहरलाल नेहरू –ऐन ऑटोबायोग्राफी पृ0 232।
2. वही, पृ0 53।

3. वही, पृ0 53।
4. एन0जी0 रंगा, किसान स्पीकम् पृ0 151।
5. नेहरू, उद्घृत पृ0 60।
6. वी0एन0 मेहता जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत व्याख्या से उद्घृत, श्री राम सिंह, पृ0 109।
7. मेहता रिपोर्ट, पृ0 2।
8. अभ्युदय, 27 अगस्त, 1945।
9. कपिल कुमार, पीजेन्ट रिवोल्ट, पृ0 115।
10. वही, पृ0 117
11. उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग फाइल न0 50 पृ0 1213, श्री राम सिंह, पृ0 7–8
12. इन्डेपेन्डेट, टिब्यून, लीडर, 12 फरवरी, 1921।
13. कपिल कुमार, पृ0 159।
14. इन्डेपेन्डेन्ट, 19 मार्च, 1921।